दिनांक 25.10.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

सभी छुटे हुए परिवारों का बनाया जायेगा स्मार्ट कार्ड।

भिलाईनगर/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी दुर्ग द्वारा अपने आदेश कं. 6819 दिनांक 16.10.2017 के माध्यम से राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थय बीमा योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारो के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं अन्य परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के रुप में सभी छुटे परिवारो का स्मार्ट कार्ड तैयार करने का नवम्बर माह में प्रारंभ किया जा रहा हैं। स्मार्ट कार्ड के लिए छुटे परिवारो को आवेदन फार्म के साथ राशनकार्ड अथवा गैस सिलेडर कार्ड की छाया प्रति जमा करना होगा। ताकि इस दस्तावेज से मुखिया एवं उनके सदस्यों की पहचान की जा सकें। वर्तमान में बीमा राशि शासन द्वारा 30,000 रुपये बढाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही एक परिवार के लिए एक ही स्मार्ट कार्ड की पात्रता होगी। जिसमें केवल 05 सदस्य ही शामिल होंगे। दिनांक 01.10.2012 के बाद जारी किये गये सभी स्मार्ट कार्ड दिनांक 30.09.2018 तक के लिए स्वतः नवीनीकृत कर दिये गये है। छुटे हुए परिवारो के आवेदन फार्म संकलन हेतु मितानीन एवं ए.एन.एम को नियुक्त किया गया है। अर्थात स्मार्ट कार्ड हितग्राही अपना फार्म अपने वार्ड के एएनएम एवं मितानीन के पास जमा कर सकते है।

आवेदन फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 27 अक्टुबर 2017 तक नियत किया गया है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार्य योग्य नही होगा।

जन सम्पर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम भिलाई